DOI: 10.51220/hjssh.v6i1.13

Himalayan J. Soc.Sci. & Humanities Vol- 6 pp.91 - 96, December, 2011, ISSN. 0975 - 9891

गरीबी के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

पूनम धस्माना
अर्थशास्त्र विभाग,
बी0 गोपाल रेड्डी, परिसर, हे0नं0 बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड), 246001 ईमेल: drpoonam03@gmail.com.

Received:19-11-2011 **Revised:27-11-2011** **Accepted:4-12-2011**

ABSTRACT

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखंड राज्य के जनपद पौड़ी गढ़वाल को अध्ययन हेतु चुना गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के दो विकासखण्ड कोट एवं पौड़ी में गरीबी के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) का अध्ययन प्राथमिक समकों के आधार पर सांख्यिकी दृष्टि से प्रतिशत के आधार पर किया गया है। कोट एवं पौड़ी विकासखण्ड के 163 पंजीकृत परिवारों को दैव निदर्शन (Random Sampling) के आधार पर लिया गया है। 163 पंजीकृत परिवारों में पौड़ी ब्लाक के 82 एवं कोट ब्लाक के 81 परिवार हैं। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण गरीब जनता को गांव में ही रहकर रोजगार मिला है। पुरूषों को कार्य हेतु बाहरी पलायन कम हुआ है। ग्रामीण जनता को उनके कार्य की पूर्ण जानकारी मिली है। जनता को 5 किमी0 की दूरी पर ही कार्य मिला है। बी0पी0एल0 से नीचे 35.58 प्रतिशत महिलाओं एवं 34.96 प्रतिशत पुरूषों को रोजगार मिला है। 49.07 प्रतिशत गरीबी में कमी आयी है। 43.55 प्रतिशत आधारभूत समस्या को दूर करने में यह योजना सफल हो पायी है। 42.94 प्रतिशत ग्रामीण जनता प्राप्त मजदूरी से सन्तुष्ट है। महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनी है। वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर सकी है।

Key-words: मनरेगा कार्यक्रम, गुणवत्ता, जागरूकता

प्रस्तावना

देश की आर्थिक वृद्धि ग्रामीण विकास के फलस्वरूप ही सम्भव है। इसलिये पिछले कुछ सालों से ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। क्योंकि देश की शक्ति गांव है और प्रत्येक गांव में गरीबी एवं बेरोजगारी मुख्य समस्या के रूप में है। यूँ तो गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन के कई कार्यक्रमों का संचालन किया जा चुका है लेकिन अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिली है। ग्रामीण गरीब जनता की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। मनरेगा कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध कराके उनकी आजीविका में वृद्धि करना है तथा रोजगार सृजन उन कार्यों से किया जाये जो कि उस क्षेत्र के आधारभूत ढ़ाँचे को विकसित

©SHARAD

कर सके। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों को नवीन रूप दिया जा सके। ग्रामीण महिलाओं और पुरूषों को उन परिसम्पत्तियों के निर्माण का लाभ मजदूरी के रूप में मिल सके तथा ग्रामीण जनता के पलायन को रोका जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर करने एवं आधारभूत सरंचना को नया रूप देने के लिए 7 सितम्बर 2005 को नरेगा अधिसूचित किया गया। 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में शुरू की गई। वर्ष 2008-09 में यह योजना देश के सभी जिलों में शुरू कर दी गयी है।

ग्रामीण जनता की गरीबी दूर करने में मनरेगा अहम् भूमिका निभा रहा है। महिलाओं और पुरूषों को समान वेतन के साथ-साथ काम करने वाली महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनकी संख्या 5 से ज्यादा हो उनके लिए क्रेश की व्यवस्था है। मनरेगा योजना से रोजगार के अवसर जनता के दरवाजे तक पहुँचे है।[1] ग्रामीण लोगों को इस योजना के तहत समान और पक्षपात रहित वेतन प्रदान किया गया। है।[2] शोधों का निष्कर्ष है कि (मल्होत्रा 2008[3], तालुकदार 2008[4]) पुरूषों द्वारा रोजगार हेतु बाहरी पलायन में कमी आयी है। ग्रामीण महिलाओं की अन्य क्षेत्रों में कार्य करने की परम्परा बनी।[5] मनरेगा योजना द्वारा ग्रामीण गरीबी दूर करने में तथा आधारभूत संरचना परिवर्तित करने में नवप्रर्वतन किये जा रहे है। मनरेगा के लिये बजट लागत/खर्च वर्ष 2007-08 में 12000/-रू0, 2008-09 में 16000/-रू0, 2009-10 अंतरिम 30100/-रू0, 2009-10 में 39100/-रू0 एवं 2010-11 में 40100/-रू0 है।[6]

अध्ययन क्षेत्र

उत्तराखण्ड राज्य का गठन 9 नवम्बर वर्ष 2000 को उत्तरप्रदेश के उत्तरीभाग का विभाजन करके गठित किया गया। भारत का यह 27वाँ राज्य बना। उत्तराखण्ड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 55845 वर्ग किमी0 है। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10116752 एवं साक्षरता दर 79.63 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी जनपद की कुल जनसंख्या 686527 एवं साक्षरता दर 82.59 प्रतिशत है।[7] उत्तराखण्ड राज्य में मनरेगा 2 फरवरी 2006 से तथा राज्य के जनपद पौडी गढ़वाल में अप्रैल 2008 से यह योजना शुरू हुई। जनपद पौड़ी गढ़वाल में 2001 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल वर्ग 5329 किमी0 है। जिसमें नगरीय क्षेत्रफल वर्ग 254 किमी0 तथा समस्त विकासखण्ड (ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्रफल वर्ग 5075 है। जनपद पौड़ी की कुल जनसंख्या 697078 है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पौड़ी गढ़वाल के 15 विकासखंडों में से दो विकासखंड पौड़ी एवं कोट को चुना गया है। जिला मुख्यालय से पौड़ी ब्लाक की दूरी 1 किमी0 तथा कोट विकासखंड की दूरी 19 किमी0 है।[8] पौड़ी विकासखंड की जनसंख्या 30482 तथा कोट की जनसंख्या 25579 है। विकासखण्ड पौड़ी का क्षेत्रफल वर्ग 149 किमी0 तथा कोट ब्लाक का क्षेक्रल वर्ग 186 किमी0 है।[9]

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य यह है कि उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पौड़ी के ब्लाक कोट एवं पौड़ी ब्लाक में गरीबी के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) का अध्ययन करना है। इस अध्ययन में निम्न तथ्यों पर ध्यान दिया गया है।

1. पंजीकृत परिवारों की जंनानकीय और अन्य विशिष्टतायें
2. मनरेगा के बारे में जागरूकता एवं गुणवत्ता स्तर

शोध प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक संमकों का उपयोग किया गया है। अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के दो विकासखण्ड कोट एवं पौड़ी से कुल पंजीकृत 163 परिवारों को दैव निदर्शन (Random Sampling) द्वारा चुना गया है। जिसमें पौड़ी ब्लाक के 82 पंजीकृत परिवारों को तथा कोट ब्लाक के 81 पंजीकृत परिवारों को अध्ययन हेतु लिया गया है। प्रश्नावली के आधार पर प्राथमिक संमको का अध्ययन सांख्यिकी दृष्टि से प्रतिशत के आधार पर किया गया है।

परिणाम

*पंजीकृत परिवारों की जंनानकीय एवं अन्य विशिष्टतायें

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोट एवं पौड़ी विकासखंड में 163 पंजीकृत परिवारों की जनानकीय एवं अन्य विशिष्टतायें तालिका-1 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1

पंजीकृत परिवारों की जंनानकीय एवं अन्य विशिष्टतायें

जंनानकीय एवं अन्य विशेषतायें	महिला (%)	पुरूष (%)
सामान्य जाति	63 (38.65)	52 (31.90)
अनुसूचित जाति	14 (8.58)	15 (9.20)
पिछड़ी जाति	11 (6.74)	8 (4.90)
साक्षर	60 (36.80)	70 (42.94)
निरक्षर	28 (17.17)	5 (3.06)
बी0पी0एल0 से नीचे	58 (35.58)	57 (34.96)
बी0पी0एल0 से ऊपर	30 (18.40)	18 (11.04)
35 वर्ष से कम आयु	29 (17.79)	21 (12.88)
35 वर्ष से अधिक आयु	59 (36.19)	54 (33.12)

तालिका-1 यह दर्शाती है कि सामान्य जाति की महिलायें 38.65% एवं पुरूष 31.90% है। अनुसूचित जाति की महिलायें 8.58% एवं पुरूष 9.20% है। पिछड़ी जाति की महिलायें 6.74% एवं पुरूष 4.90% है। साक्षर महिलायें 36.80%, पुरूष 42.94% तथा निरक्षर महिलायें 17.17%, पुरूष 3.06% है। बी0पी0एल0 से नीचे महिलायें 35.58% एवं पुरूष 34.96% है। बी0पी0एल0 से ऊपर पुरूष 11.04% तथा महिलायें 18.40% है। 35 वर्ष से कम आयु की महिलायें 17.79%, 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलायें 36.19% है। 35 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष 33.12% एवं 35 से कम आयु के पुरूष 12.88% है।

***मनरेगा के बारे में जागरूकता एवं गुणवत्ता स्तर**

मनरेगा के बारे में जागरूकता एवं गुणवत्ता स्तर जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोट एवं पौड़ी विकासखण्ड में 163 पंजीकृत परिवारों के मनरेगा के बारे में जागरूकता एवं गुणवत्ता स्तर को तालिका-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2

मनरेगा के बारे में जागरूकता एवं गुणवत्ता स्तर

गुणवत्ता स्तर एवं जागरूकता	हाँ (%)	नहीं (%)	जबाब नहीं (%)
100 दिनों का रोजगार	शून्य	163 (100)	शून्य
समान मजदूरी	163 (100)	शून्य	शून्य
5 किमी0 की दूरी पर कार्य	143 (87.73)	8 (4.90)	12 (7.36)
बेरोजगारी भत्ता	शून्य	163 (100)	शून्य
जॉब कार्ड प्राप्त हुए	163 (100)	शून्य	शून्य
पूरी मजदूरी प्राप्त हुई	163 (100)	शून्य	शून्य
प्रधान द्वारा सहयोग	130 (79.75)	शून्य	33 (20.24)
गरीबी में कमी	80 (49.07)	62 (38.03)	21 (12.88)
मजदूरी से सन्तुष्टि	70 (42.94)	62 (38.03)	31 (19.01)
आधारभूत समस्या को दूर करने में सफल	71 (43.55)	52 (31.90)	40 (24.53)
योजना की पूर्ण जानकारी	50 (30.67)	58 (35.58)	58 (35.58)
15 दिनों के अन्दर रोजगार मिला	110 (67.48)	39 (23.92)	14 (8.58)
समय पर मजदूरी प्राप्ति	108 (66.25)	30 (18.40)	25 (15.33)
अधिकारी द्वारा गांव में मूल्यांकन	95 (58.28)	30 (18.40)	38 (23.31)
समस्या निदान हेतु कदम	शून्य	140 (85.88)	23 (14.11)
पीने का पानी	40 (25.14)	85 (52.14)	38 (23.31)
प्राथमिक चिकित्सा	41 (25.15)	78 (47.85)	44 (26.99)
कार्यस्थल पर भीड़	20 (12.26)	110 (67.48)	33 (20.24)
क्रैच व्यवस्था	शून्य	163 (100)	शून्य
शौचालय	शून्य	शून्य	शून्य

तालिका-2 यह दर्शाती है कि जनपद पौड़ी के ब्लाक कोट एवं पौड़ी में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। महिलाओं और पुरूषों को समान वेतन मिला है। ग्रामीण जनता को गांव में ही रोजगार मिला है। श्रमिकों को कार्य की पूर्ण मजदूरी मिली है। ग्राम प्रधानों द्वारा 79.75 प्रतिशत सहयोग जनता को मिला है। गरीबी में 49.07% कमी आयी है। मजदूरी से सन्तुष्ट पंजीकृत परिवारों का प्रतिशत 42.94 है। आधारभूत समस्या को दूर करने में 43.55% सफलता मिली है। योजना की पूर्ण जानकारी 30.67% परिवारों को है। 15 दिनों के अन्दर 67.48% परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मजदूरी की समय पर प्राप्ति 66.25% परिवारों को हुई। अधिकारी द्वारा गांवों में मूल्याकंन 58.28% रहा। परिवारों की समस्या के निदान हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया है। 25.14% श्रमिकों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हुई है। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधायें 25.15% श्रमिकों को मिली है। कार्यस्थल पर शेड 12.26% श्रमिकों को प्राप्त हुआ है। क्रेच व्यवस्था महिला श्रमिकों को नहीं मिली है तथा महिलाओं के लिये शौचालय व्यवस्था भी नहीं है। महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर पूर्ण व्यवस्था न मिलने पर उनकी कार्य करने की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष

मनरेगा कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण जनता की गरीबी को दूर करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण जनता को गांव में रोजगार मिला है। पुरूषों का कार्य हेतु बाहरी पलायन को कम करने में यह कार्यक्रम विशेष भूमिका निभा रहा है। मनरेगा कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर बनी है। वे अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिये पुरूषों पर निर्भर नहीं है। इस योजना से महिलाओं ने घर की आय में दृश्य योगदान दिया है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत ग्राम प्रधानों का सहयोग अति आवश्यक है। जॉब कार्ड से लेकर मजदूरी भुगतान तक का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा होता है। इस प्रकार ग्राम प्रधानों का शिक्षित होना आवश्यक है। अशिक्षित होने के कारण कार्यक्रम द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता से ग्रामीण जनता वंचित रह सकती है। ग्रामीण जनता को पूर्ण लाभ तभी मिल सकता है जब प्रशासनिक स्तर पर योजनायें फाइलों तक न सिमटे, या फिर ग्राम पंचायतों और प्रशासनिक स्तर पर उचित सहयोग के आभाव से जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। मनरेगा कार्यक्रम छोटी अवधि में ही गरीब जनता को तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

सुझाव

ग्रामीण जनता को मनरेगा कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी देना अति आवश्यक है। श्रमिकों को समय पर मजदूरी, अधिकारियों द्वारा नियमित मूंल्याकन तथा जनता की समस्या के निदान हेतु कदम उठाने आवश्यक है। महिला श्रमिकों के लिये शौचालय व्यवस्था जरूरी है। महिला श्रमिकों को बच्चों को दूध पिलाने हेतुं कार्यकारी समय में ब्रेक देना आवश्यक है। क्रेच व्यवस्था को आंगनबाडी, समन्वित बाल विकास सेवा केन्द्रों, पंचायत भवनों एवं स्थानीय स्कूलों में शुरू करना चाहिए। 100 दिनों से ज्यादा दिनों की रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्राम प्रधानों को ग्रामीण जनता को पूर्ण सहयोग एवं मदद देना तथा इसका ध्यान रखा जाये कि

प्रशासन एवं ग्राम पंचायतों के बीच उचित समन्वय स्थापित करके ग्रामीण जनता को पूर्ण लाभ दिया जा सके।

सन्दर्भ

1.Khera, Reetika and Nandini Nayak (2009). Women Workers and Perceptions of the National Rural Employment Guarantee Act ; *Economic & Political Weekly*, vol 44(43), pg.49-57

2.Sudarshan, Ratna (2008). Impact of NREGA on Rural Labour Market in Kerala : Preliminary Findings on Women's Work; International Conference on "NREGS" in India: *Impact and Implementation Experiences* ; New Delhi, 16-17 September.

3.Mehrotra, Santosh (2008). NREG Two Years On : Where Do We Go From Here ? ; *Economic & Political Weekly*, vol 43(31), pg.27-35

4.Talukdar, Ratna Bharali (2008). NREGA Shines for Tripura Women ; http:www.indiatogether.org/2008/Jan/won-nrega.htm

5.Narayana, Sudha (2008). Employment Guarantee, Women's Work and Childcare ; *Economic & Political Weekly,* vol.43(9), pg.10-13.

6. राष्ट्रीय सहारा, (2011), 26 फरवरी, देहरादून, हस्तक्षेप, पृ0स0-2

7. अमर उजाला, देहरादून, 3 अप्रैल 2011, पृ0सं0-15

8. सांख्यिकीय पत्रिका, वर्ष 2008, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, पृ0स0-13

9. तदैव पृ0स0-15-16